



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 07 अक्टूबर, 2026

विषय:- जिला कारागार, चित्रकूट निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामराज मिश्रा पुत्र श्री नत्थू राम मिश्रा, निवासी जनपद- चित्रकूट की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, चित्रकूट निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामराज मिश्रा पुत्र श्री नत्थू राम मिश्रा (दिनांक 31.08.2025 तक आयु 70 वर्ष है), बन्दी द्वारा दिनांक 12.08.2006 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व कट्टा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-10/2007, धारा-147, 148, 302/149 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-02. चित्रकूट के आदेश दिनांक 24.11.2022 द्वारा आजीवन कारावास सजा से दण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अन्य अपराधियों को संगठित करके अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त पुनः अपराध में लिप्त होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 11 माह. 06 दिन तथा सपरिहार 03 वर्ष, 05 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष 11 माह 06 दिन तथा सपरिहार 03 वर्ष, 05 माह, 06 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, चित्रकूट निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामराज मिश्रा (बन्दी संख्या-319/2022) पुत्र श्री नत्थू राम मिश्रा, निवासी जनपद-चित्रकूट की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।
- 2- पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट।
- 3- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।